

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
संख्या पी-1448 /36-टी-77, लखनऊ:दिनांक: 12 जून ,2017

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
वन्य जीव, पश्चिमी क्षेत्र,
कानपुर।

विषय: वित्तीय वर्ष 2017-18 में "जनपद इटावा में बब्बर शेर प्रजनन केन्द्र व लॉयन सफारी पार्क का विकास" योजनान्तर्गत लेखानुदान के माध्यम से आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम पाँच माह (अप्रैल 2017 से अगस्त 2017 तक) हेतु रू0 98.68 लाख की स्वीकृति।

संदर्भ: शासकीय पत्र सं0-830/चौदह-4-2017-40(बजट)/2017, दिनांक 09-06-2017 (छायाप्रति संलग्न)

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक संदर्भित शासकीय पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासन ने वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02-01-2017 एवं संख्या-3/2017/बी-1-348/दस-2017-231/2017, दिनांक 20-03-2017 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2017-17 में अनुदान सं0-60 के अन्तर्गत "जनपद इटावा में बब्बर शेर प्रजनन केन्द्र व लायन सफारी पार्क का विकास" योजनान्तर्गत लेखानुदान के माध्यम से आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम पाँच माह (अप्रैल 2017 से अगस्त 2017 तक) हेतु रू0 98.68 लाख की स्वीकृति जारी कर दी है।

2- अतः शासन द्वारा उक्त प्रकार स्वीकृत धनराशि रू0 98.68 लाख का आवंटन प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0, लखनऊ की पत्र सं0-3058/7-4(लायन सफारी) दिनांक 03-05-2017 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार आपके अधीनस्थ निदेशक, इटावा सफारी पार्क, इटावा के उपयोग हेतु निम्न प्रकार किया जाता है:-

लेखाशीर्षक	धनराशि(रू0 में)
अनुदान संख्या-60	
राजस्व लेखा-	
2406-वानिकी तथा वन्य जीव-	
02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव-	
110-वन्य जीव परिरक्षण-	
12-जनपद इटावा में बब्बर शेर प्रजनन केन्द्र व लायन सफारी पार्क का विकास-	
01-वेतन	8600000
03-महगाई भत्ता	430000
06-अन्य भत्ते	38000
14-मोटर गाड़ियों का क्रय	800000
योग:-	9868000

3- उक्त आवंटित धनराशि का उपयोग प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0, लखनऊ की पत्र सं0-3058/7-4(लायन सफारी) दिनांक 03-05-2017 द्वारा प्रस्तावित कार्यमदों पर ही नियमानुसार कराया जाना सुनिश्चित करें।

4- उक्त धनराशियों का आवंटन स्वयं में व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। अतः जिस व्यय के संबंध में वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत नियमावलियों में अथवा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा शासन के वर्तमान आदेशानुसार शासन की अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति लिया जाना

अपेक्षित है, उसे व्यय करने से पूर्व अनिवार्यतः प्राप्त किया जाय। वस्तुओं का क्रय स्टोर परचेज एवं वित्तीय नियमों के अधीन ही किया जाय। योजनान्तर्गत वाहनों के क्रय के पूर्व शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा शासनादेश सं०- सी०ए०-1132/दस-2004-मित-1/2004, दिनांक 07-01-2005 तथा शासनादेश सं०- सी०ए०-1191/दस-2009-मित-1/2007, दिनांक 26-10-2009 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

5- व्यय को निर्धारित मानकों के अनुसार सुनिश्चित किये जाने हेतु एक समय सारिणी निश्चित कर दी जाये तथा प्रत्येक माह की समाप्ति पर व्यय की प्रगति का प्रभावी अनुश्रवण किया जाये।

6- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, 30प्र०, लखनऊ समय-समय पर स्थलीय निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थलीय कार्य अनुमोदित आगमन एवं निर्धारित मानकों के अनुसार हो रहे हैं तथा इसकी रिपोर्ट शासन एवं इस कार्यालय को समय-समय पर उपलब्ध करायी जायेगी।


7- स्वीकृत धनराशि के व्यय का अधिकार तब होगा जब निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति तथा अपेक्षित गुणवत्ता नियंत्रक अधिकारी, विभागाध्यक्ष अथवा कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सत्यापित कर दिया गया हो तथा इसका गुणवत्ता प्रमाण-पत्र एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र सक्षम स्तर को उपलब्ध करा दिया गया हो।

8- इसके अतिरिक्त योजना के क्रियान्वयन के समय शासन द्वारा निर्गत सभी सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

9- योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता / गुणवत्ता प्रमाण-पत्र एवं वित्तीय / भौतिक प्रगति रिपोर्ट शासन को यथा समय उपलब्ध कराया जायेगा तथा विगत वित्तीय वर्ष 2016-17 में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को तत्काल उपलब्ध कराने के उपरान्त ही लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोग किया जाय।

10- व्यय की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति सूचना आयोजनागत पक्ष की अन्य सूचनाओं के साथ निर्धारित तिथि तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। व्यय की वित्तीय प्रगति प्रपत्र बी०एम०-13 में भी इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।

संलग्नक:यथोपरि।

भवदीय,

(ए०के० द्विवेदी),

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
योजना एवं कृषि वानिकी,
30प्र०, लखनऊ।

संख्या पी-1448(1)/36-टी-77, दिनांकित।

प्रतिलिपि वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, 30प्र०, लखनऊ को उपर्युक्त संदर्भित शासकीय पत्र की छायाप्रति सहित इस आशय से प्रेषित कि कोषागार की मदों में आवंटित उक्त धनराशि के बजट आवंटन की सूचना सम्बन्धित कोषागार को देने की कृपा करें।

संलग्नक:यथोपरि।



(ए०के० द्विवेदी),

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
योजना एवं कृषि वानिकी,
30प्र०, लखनऊ।

संख्या पी- 11118(11)/36-टी-77, दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपर्युक्त संदर्भित शासकीय पत्र की छायाप्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-


- 1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), चतुर्थ तल, हाल नं0-2, आडिट भवन, टी0सी0-35, बी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
 - 2- प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
 - 3- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
 - 4- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आई0टी0, 30प्र0, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
 - 5- निदेशक, इटावा सफारी पार्क, इटावा।
 - 6- उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सेन्चुरी प्रोजेक्ट, आगरा।
 - 7- अभिसूचना सेल, कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, 30प्र0, लखनऊ।
- संलग्नक:यथोपरि।


(ए0के0 द्विवेदी),

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
योजना एवं कृषि वानिकी,
30प्र0, लखनऊ।

संख्या पी- 11118(111)/36-टी-77, दिनांकित।

प्रतिलिपि अपर मुख्य सचिव, वन एवं वन्य जीव विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को उपर्युक्त संदर्भित शासकीय पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।


(ए0के0 द्विवेदी),

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
योजना एवं कृषि वानिकी,
30प्र0, लखनऊ।

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग- 4

लखनऊ, दिनांक, 09 जून, 2017

विषय: वित्तीय वर्ष-2017-18 में "जनपद इटावा में बब्बर शेर प्रजनन केन्द्र व लायन सफारी पार्क का विकास" योजनान्तर्गत लेखानुदान के माध्यम से आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम पाँच (अप्रैल, 2017 से अगस्त, 2017 तक) हेतु रू0 98.68 लाख की स्वीकृति।

महोदय,


उपर्युक्त विषयक अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी के पत्र सं0-पी-1310/36-टी-77 दिनांक 05 मई, 2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017 दिनांक 02 जनवरी, 2017 एवं संख्या-3/2017/बी-1-348/दस-2017-231/2017 दिनांक 20 मार्च, 2017 के निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-60 के अन्तर्गत "जनपद इटावा में बब्बर शेर प्रजनन केन्द्र व लायन सफारी पार्क का विकास" योजनान्तर्गत लेखानुदान के माध्यम से आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम पाँच (अप्रैल, 2017 से अगस्त, 2017 तक) हेतु रू0 98.68 लाख (रू0 अटठान्बे लाख अड़सठ हजार मात्र) की स्वीकृति निम्नलिखित लेखा शीर्षकों में व्यय हेतु निम्न शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

लेखाशीर्षक	धनराशि (रू0 में)
अनुदान संख्या-60-	
2406-वानिकी तथा वन्य जीव-	
02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव-	
110-वन्य जीव परिरक्षण-	
12-जनपद इटावा में बब्बर शेर प्रजनन केन्द्र व लायन सफारी पार्क का विकास-	
01-वेतन	8600000
03-मंहगाई भत्ता	430000
06-अन्य भत्ते	38000
14-मोटर गाडियों का क्रय	800000
योग:-	9868000

(रू0 अटठान्बे लाख अड़सठ हजार मात्र)

(Signature)

- 1- उक्त धनराशियों का आवंटन स्वयं में व्यय का अधिकार नहीं देता, अतः जिस व्यय के संबंध में वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत नियमावलियों में अथवा शासन के वर्तमान आदेशों के अनुसार शासन के अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/सहमति लिया जाना अपेक्षित हो, उसे व्यय करने से पूर्व अनिवार्यतः प्राप्त किया जाय। वस्तुओं का क्रय स्टोर परचेज एवं वित्तीय नियमों के अधीन किया जाय। योजनान्तर्गत वाहनों के क्रय के पूर्व शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश सं0-सी0ए0 1132/दस-2004-मित-1/2004 दिनांक 7.1.2005 तथा शासनादेश सं0-सी0ए0 1191/दस-2009-मित-1/2007 दिनांक 26.10.2009 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- 2- व्यय को निर्धारित मानकों के अनुसार सुनिश्चित किये जाने हेतु एक समय-सारिणी निश्चित कर दी जाय तथा प्रत्येक माह की समाप्ति पर व्यय की प्रगति का प्रभावी अनुश्रवण किया जाय।
- 3- प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उ0प्र0 समय-समय पर स्थलीय निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थलीय कार्य अनुमोदित आंगणन एवं निर्धारित मानकों के अनुसार हो रहे हैं तथा इसकी रिपोर्ट शासन को समय-समय पर उपलब्ध करायी जायेगी।
- 4- स्वीकृत धनराशि के व्यय का अधिकार तब होगा जब निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति तथा अपेक्षित गुणवत्ता नियंत्रक अधिकारी, विभागाध्यक्ष अथवा कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सत्यापित कर दिया गया हो तथा इसका गुणवत्ता प्रमाण-पत्र एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र सक्षम स्तर को उपलब्ध करा दिया गया हो।
- 5- व्यय को निर्धारित मानकों के अनुसार सुनिश्चित किये जाने हेतु एक समय-सारिणी निश्चित कर दी जाय तथा प्रत्येक माह की समाप्ति पर व्यय की प्रगति का प्रभावी अनुश्रवण किया जाय।
- 6- अवमुक्त धनराशि को समय से योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु साख-सीमा अवमुक्त किये जाने की समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय ताकि धनराशि समय पर उपलब्ध रहे।
- 7- इसके अतिरिक्त योजना के क्रियान्वयन के समय शासन द्वारा निर्गत सभी सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 8- योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता/गुणवत्ता प्रमाण-पत्र एवं वित्तीय/भौतिक प्रगति रिपोर्ट शासन को यथा समय उपलब्ध कराया जायेगा तथा विगत वित्तीय वर्ष 2016-17 में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को तत्काल उपलब्ध कराने के उपरान्त ही लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोग किया जाय।



9- उपर्युक्त धनराशि का व्यय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी के पत्र सं०पी-1310/36-टी-77 दिनांक 05 मई, 2017 के साथ संलग्न प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ०प्र० के पत्र दिनांक 03 मई, 2017 में उल्लिखित कार्यमर्दों में ही किया जाय।


2- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017 दिनांक 02 जनवरी, 2017 एवं संख्या-3/2017/बी-1-348/दस-2017-231/2017 दिनांक 20 मार्च, 2017 के निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
/ (आशीष तिवारी)
विशेष सचिव

संख्या-830(1)/चौदह-4-2017-40 (बजट)/2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/दिवतीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार दिवतीय उ०प्र० केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
- 3- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उ०प्र०, लखनऊ।
- 6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
- 7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
- 8- अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(हलधर प्रसाद मिश्रा)
उप सचिव।